ई–मेल
सा0भ0नि0/महत्पूर्ण

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः सा0भ0नि0-259/स्था0–2/2010 लखनऊ दिनॉक 6 सितम्बर, 2010

विषयः सामान्य भविष्य निधि के ऋणात्मक प्रकरणों की वसूली की कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्याः 160/सम्प्रेक्षा/ऋणात्मक–वसूली दिनॉक 20–08–2010, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र द्वारा समस्त जिला विकास अधिकारी/समस्त परियोजना निदेशकों को सामान्य भविष्य निधि के खातों से ऋणात्मक प्रकरणों के निस्तारण/आहरण की वसूली के संबंध में निर्देश दिये गये थे। वसूली की स्थिति में प्राप्त रसीद के साथ दिनॉक 27–08–2010 तक सूचना भेजने की अपेक्षा की गयी थी, परन्तु कतिपय जनपदों के अतिरिक्त किसी जनपद से सूचना प्राप्त नहीं हुयी है। जिन जनपदों से सूचना प्राप्त भी हुयी है वह अधूरी है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण के निस्तारण के संबंध में आपकों निर्देशित किया जाता है कि उक्त वसूली से संबंधित सूचना पूर्ण रूपेण (रसीद सहित) दो दिन के अन्दर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का कष्ट करें। समय से सूचना प्राप्त न होने अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होने पर संबन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

भवदीय,

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा),
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांकः सा0भ0नि0-259/स्था0–2/2010 तद्दिनॉक।

1. प्रतिलिपि अनु सचिव, उ0प्र0 शासन, ग्राम्य विकास अनु0–1 को उनके पत्र संख्याः 3304/38–1–2010–3594/2010 दिनॉक 27–08–2010 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश को इस कार्यालय के पत्र संख्याः 160/सम्प्रेक्षा/ऋणात्मक–वसूली दिनॉक 20–08–2010 में दिये गये निर्देशों के क्रम में आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा),
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।